न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—55/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/55)

1. केसर पुत्री हजारी
2. न्याली पुत्री हजारी
3. नारायणी पत्नी हजारी
4. बाबूलाल पुत्र श्री रामकिशन
5. महावीर पुत्र श्री रामकिशन
6. रघुवीर पुत्र श्री रामकिशन
7. रणजीत पुत्र श्री हजारी
8. रामकिशन पुत्र श्री मांगीलाल (फौत जरिए वारीसान)
   - 8/1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 श्री रामकिशन
   - 8/2 काशीराम पुत्र स्व0 श्री रामकिशन
   - 8/3 गोपाल पुत्र स्व0 श्री रामकिशन
   - 8/4 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री रामकिशन
9. रामफूल पुत्र श्री हजारी
10. रामसुख पुत्र श्री हजारी
11. लक्ष्मण पुत्र श्री हजारी
12. सुन्दर पुत्री श्री हजारी

समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागांव कुमावतों का, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. फतेहलाल पुत्र श्री जुवाना कुमावत जाति कुमावत निवासी नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला केकडी।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 19.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 57/2020 (2020/00213)

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—19.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2020 (2020/00213) में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अप्रार्थीगण/अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण/अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया व उक्त कथनों को अस्वीकार किया। उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.1.2024 द्वारा अपने आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए स्वीकर कर डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि का आंकलन कर भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.75 है0 में से 648 वर्ग मीटर सिवायचक सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2020 (2020/00213) में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार को पक्षकारन नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार है उसके बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने तहसीलदार केकड़ी से जांच मौका रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिनांक 23.11.2022 को पारित किये थे जिसके तहत तहसीलदार केकड़ी ने स्वंय जाने के बजाय भू–अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने सभी पक्षकारों को मौका देखने के लिए नोटिस नहीं दिया और ना ही कोई सूचना दी और उनकी अनुपस्थिति में दिनांक 30.12.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को भेज दी और तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2023 को तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को भेज दी और उक्त रिपोर्ट के आधार पर कारण रहित आदेश द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश पारित कर दिये। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा सभी खातेदारों को नोटिस नहीं दिया। बल्कि एक ही नोटिस में सम्पूर्ण खातेदारों का भी नाम अंकन नहीं किया है। 15 खातेदार थे जबकि एक ही नोटिस में 12 खातेदारों का नाम लिखा गया जो बैड इन लॉ है तथा अपीलान्ट केसर, न्याली, नारायणी, सुन्दर व ग्यारसी को तो उक्त नोटिस ही नहीं दिया गया। जबकि सभी खातेदारों को नोटिस देकर मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। अप्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि प्रार्थी के ख.नं. 852 में अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 846 में से कभी भी आवागमन नहीं रहा है बल्कि उसके खेत के चारों ओर दीवान बनी हुई है और फेंसिंग की हुई है जो मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है क्योंकि प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए गैर–मुमकिन रास्ता ख.नं. 885, 856, 866, 867 व 873 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उसी रास्ते से सभी काश्तकार आवागमन करते हैं। इसलिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता प्रदान किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में रास्ते के जो प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बनायै गये हैं वह सुविधा या नजदीक की दृष्टि से नहीं है अगर पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता। पटवारी व आई. एल.आर. हल्का की रिपोर्ट में भी ख.नं. 885 नजदीकी रास्ता होना बताया है जो पूर्व में ही रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बावजूद केवल यह अंकन करते हुए कि कुछ मौके पर झाड़ियां एवं कुछ खातेदारों ने अतिक्रमण कर रखा है को आधार मानकर नया रास्ता प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नया गांव के निवासी है और उनके काश्तकारी भूमि ग्राम बघेरा में स्थित है और नया गांव से आने-जाने के लिए आवगमन का रास्ता पहले से मौजूद है। लेकिन प्रार्थी/ रेस्पोडेंट सुविधा की दृष्टि से तथा मुख्य सड़क पर रास्ता आने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं था। अप्रार्थीगण/अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.75 है0 में लगभग 15 खातेदार है जिनके हिस्से में बहुत कम क्षेत्रफल खातेदारी में आता है अगर उक्त खातेदारी आराजी में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कर दिया जाता है तो अपीलांट्स के खेत बर्बाद हो जाएगे तथा अपीलांट्स अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो जाएगे लेकिन उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के बावजूद उपखण्ड अधिकारी केकडी ने आदेश अपील पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2020 (2020/00213) में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी आराजीयात ग्राम बघेरा तहसील केकडी स्थित खसरा नम्बर 852 में आने जाने हेतु आराजी खसरा संख्या 841 गै0मु0 सडक से खसरा सख्या 846 में से होकर आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना ही रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी लंबे समय से इसी खसरा नम्बर 846 से होकर अपने खेत में आता जाता है रास्ता लगभग 20 फिट चौडा है उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकार्ड में रास्ते अभिलेखित किया जाने व इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः उक्त रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। दिनांक 14.8.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 6.1.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7 व 9 से 11 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व अप्रार्थी संख्या 8 को फौत होना बताया शेष अप्रार्थीगण के सम्मन अप्राप्त होना बताया। दिनांक 6.5.2022 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया। दिनांक 20.9.2022 को शेष अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा पावर व जवाब पेश करने हेतु यू0टी0 ली। दिनांक 1.11.2022 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का व फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिस पर उन्हें सुना गया व आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 4.4.2023 को अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 19.1.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए जाकर निर्णय लिखवाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी को पक्षकार ही मुर्तिब नहीं किया गया व बिना पक्षकार मुर्तिब किए अधीनस्थ न्यायायल द्वारा निर्णय पारित किया गया है चूंकि तहसीलदार, केकडी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है बिना पक्षकार मुर्तिब किए उक्त प्रार्थना पत्र अपूर्ण था व प्रकरण चलने योग्य नहीं था तथा बावजूद उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 19.1.2024 को निर्णय पारित किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है।

पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.12.2022 को तैयार मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारान को विधिवत रूप से नोटिस प्रदान किए उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारन की अनुपस्थिति में बनाई गई है। चूंकि एक ही नोटिस में संपूर्ण खातेदारों का नाम भी अंकन नहीं किया व एक ही नोटिस में खातेदारों के नाम लिखकर उसको ही विधिवत रूप से तामील मानते हुए उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2022 को पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर तहसीलदार केकडी को प्रेषित की गई व उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जो कि किसी भी आधार पर विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता व उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– **RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-** *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है।

उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार व न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2024 में तकनीकि त्रुटि कारित की गई है। अतः उनके द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है ना ही नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुकुल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2020 (2020/00213) में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे तहसीलदार केकडी को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर व प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

19/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner